

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-॥, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्रमांक/22/वि-12/FA/2020

भोपाल, दिनांक...../01/2020

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

जिला (म.प्र.)।

विषय:- प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत निराकृत प्रकरणों की मासिक जानकारी।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 8592/FA/D-12 दिनांक 26.04.2018

—00—

संदर्भित पत्र द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद-24, 35, 36 एवं 44 के अंतर्गत निराकृत किए गए प्रकरणों की एकजाई जानकारी संलग्न प्रपत्र में आगामी माह की 05 तारीख तक भेजने हेतु निर्देशित किया गया था। सभी मुख्य महाप्रबंधकों को निर्देश जारी किए जाने के बाद भी केवल एक बार जानकारी भेजी गई तथा उसके बाद जानकारी भेजना बन्द कर दिया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.02.2019 से 31.12.2019 की बीच निराकृत किए गए प्रकरणों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में अविलंब प्रस्तुत की जाय तथा भविष्य में भी प्रत्येक माह की 05 तारीख को जानकारी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2. इसके अतिरिक्त मुख्यालय के पत्र क्रमांक 9932/22/D-12/FA दिनांक 23.07.2019 से Liquidated Damages प्रकरणों के निराकरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे इस संबंध में आपके स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है तथा किस सीमा तक निर्देशों का पालन किया गया है रिपोर्ट प्रस्तुत करें। दिनांक 14.1.2020 तक

(उमाकांत उमराव)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

730

प्रपत्र-F3

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक संभाग

माह में स्वीकृत विचलन प्रकरण की जानकारी (माह वर्ष

माह के प्रारंभ में लंबित प्रकरण :-

माह में निराकृत :-

माह में प्राप्त प्रकरण :-

शेष प्रकरण :-

स. क्रं.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्रं.	संविदाकार का नाम	प्रकरण प्राप्ति दिनांक	निराकरण का दिनांक	मूल अनुबंधित लागत	विचलन पश्चात लागत	आदेश क्रं. दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

६